न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 16/2023

अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सांगाराम पुत्र लिछुराम जाति जाट, निवासी उंचावडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. लिछुराम पुत्र धनाराम 2. रामाराम पुत्र लिछुराम 3. देवी उर्फ दिव्या पुत्री लिछुराम जाति जाट, निवासी उंचावड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.10.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा उचावड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1068/265 रकबा 9.0083 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण को पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पूर्व पुरूष धनाराम पुत्र सुखराम के विधिक वारिश है। पूर्व पुरूष धनाराम के फौत होने पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा निहित है तथा वहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है। पक्षकारान् अपने अपने हिस्सानुसार काविज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर उक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति का अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान अजनवी क्रेताओं को करने पर आमादा है, जवकि पैतृक सहदायिकी संपति में प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादी सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यों से वंचित रह जाता है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी में वादी द्वारा स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवा[illegible]ग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 के स[illegible]सह[illegible]दार घोषित किये जाने बावत् सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीग[illegible]स्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप [illegible] का बयान शपथ पत्र [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किये जाकर खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी घोषणा बावत् सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 धनाराम पुत्र सुखराम के वारिस है, जो जाति से जाट होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी व पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व0 धनाराम के वारिश होना साबित है। उक्त वाद में विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का प्रतिवादी संख्या 1 साथ बराबर हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को स्वयं के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। यदि कोई पक्षकार वादग्रस्त आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हक हिस्से का त्याग करना चाहता है तो वह उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना हक त्याग करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक हिस्सा निहित होने से उनको प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर 1/4 – 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा उचावड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1068/265 रकबा 9.0083 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर 1/4 – 1/4 घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:47:45 IST
Reason: SelfAttested